(137)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1683–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 3–5–2012 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, सांवेर जिला इंदौर प्रकरण कमांक 69/अपील/2010–11.

....

1–नाथुलाल अग्रवाल पिता स्व0श्री भगवतीलाल अग्रवाल
निवासी 47/5, परदेशीपुरा इंदौर
2–राजेन्द्र अग्रवाल पिता स्व0श्री भगवतीलाल अग्रवाल
निवासी 47/5, परदेशीपुरा इंदौर

.... आवेदकगण

विरूद्ध

1–रामेश्वर पिता स्व0श्री भेराजी
2–श्रीमती मनोरमा बाई पति स्व0श्री सुभाष
3–उमाशंकर पिता स्व0श्री सुभाष
निवासीगण 17/2, परदेशीपुरा जिला इंदौर
4–नन्दकिशोर पिता स्व0श्री मानसिंह
5–सुरेश पिता स्व0श्री मानसिंह
6–भोलाराम पिता स्व0श्री मानसिंह
7–विष्णु पिता स्व0श्री मानसिंह
सभी निवासीगण ग्राम भांग्या, तहसील सांवेर,
जिला इंदौर

.... अनावेदकगण

....

श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री व्ही0ओ0जोशी, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1 से 3 तक

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 26/9/12 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, सांवेर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–5–2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार सांवेर जिला इंदौर के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत इस आशय का

आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदक कमांक 1 के स्वत्व एवं आधिपत्य की ग्राम भांग्या तहसील सांवेर स्थित भूमि सर्वे नम्बर 67/2/1 रकबा 1.555 हेक्टेयर एवं आवेदक कमांक 2 के स्वत्व एवं आधिपत्य की ग्राम भांग्या तहसील सांवेर स्थित भूमि सर्वे नम्बर 67/2/2 रकबा 1.00 हेक्टेयर है । उक्त भूमियॉ आवेदकगण की माता द्वारा अनावेदकगण व अन्य से कय की गई थी। उपरोक्त भूमियों के आधिपत्य में अनावेदकगण द्वारा हस्तक्षेप करने के कारण उनके विरूद्ध दीवानी वाद कमांक 178–ए/09 स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बावत् प्रस्तुत किया गया था। उक्त व्यवहार वाद में दशम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक द्वारा दिनांक 14–10–2010 को आवेदकगण के पक्ष में इस आशय का जयपत्र पारित किया गया है कि आवेदक कमांक 1 सर्वे नम्बर 67/2/1 का तथा आवेदक कमांक 2 सर्वे नम्बर 67/2/2 का भूमिस्वामी है । राजस्व अभिलेखों में प्रश्नाधीन उपरोक्त भूमियों पर अनावेदक कमांक 2 व 3 का नाम दर्ज है और आवेदकगण उपरोक्त डिकी के प्रकाश में प्रश्नाधीन भूमि पर अपना नामान्तरण कराने के पात्र हो जाते हैं, अतः प्रश्नाधीन भूमि पर उनका नाम दर्ज किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 4–7–2011 को आदेश पारित किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नम्बर 67/2/1 रकबा 1.555 हेक्टेयर पर आवेदक कमांक 1 का एवं सर्वे नम्बर 67/2/2 रकबा 1.00 हेक्टेयर पर आवेदक कमांक 2 का नामान्तरण व्यवहार न्यायालय के आदेश के पालन में अनावेदक कमांक 2 व 3 के स्थान पर स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 3–5–12 को आदेश पारित तहसीलदार का आदेश दिनांक 4--7–11 निरस्त किया जाकर तहसीलदार को आदेशित किया गया कि प्रकरण में आपत्तिकर्ता की आपत्तियों पर विचार करते हुये प्रकरण का गुणदोष के आधार पर निराकरण करें । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में संहिता की धारा 49 के

प्रावधानों के विपरीत कार्यवाही की गई है इसलिये उनका आदेश अधिकारिता रहित है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष कि राजस्व मण्डल में रिव्यु प्रकरण कमांक 373–एक/2007 प्रचलित रहने के दौरान तहसीलदार द्वारा आदेश पारित करने में विधि की गंभीर भूल की गई है, अभिलेख के विपरीत है, क्योंकि तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में उल्लेख किया गया है कि राजस्व मण्डल द्वारा उक्त रिव्यु प्रकरण दिनांक 17–6–2011 को समाप्त कर दिया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा होकर आवेदकगण का स्वत्व एवं आधिपत्य पूर्व से ही था, इसलिये समझौता डिकी को पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं थी । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा व्यवहार वाद इसलिये प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 प्रश्नाधीन भूमि का विकय कर आधिपत्य में दखल देने का प्रयास कर रहे थे । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 द्वारा व्यवहार वाद में आवेदकगण के स्वत्व को स्वीकार किया गया है इसलिये भी समझौता डिकी का विधि अनुसार पंजीयन आवश्यक नहीं है । यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक 4 लगायत 7 द्वारा ली गई आपत्ति निराधार है, क्योंकि उनके पिता द्वारा दिनांक 23–6–1976 को प्रश्नाधीन भूमि पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से आवेदकगण की माता को विकय कर दी गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत नहीं की गई है इससे स्पष्ट है कि सभी पक्षकार तहसीलदार के आदेश से परिवेदित नहीं है।

तर्क के समर्थन में 2006 एआईआर(एस.सी.डब्ल्यू.) 4806 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित समझौता डिकी का आवेदकगण द्वारा पंजीयन नहीं कराया गया है, इसलिये उसके आधार पर तहसीलदार द्वारा आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा आदेश पारित करने में इस तथ्य पर विचार नहीं किया

गया है कि मनोरमाबाई को प्रश्नाधीन भूमि विकय करने का अधिकार नहीं था । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में सेवा सहकारी संस्था भंवरसला के पक्ष में सेल सर्टिफिकेट जारी किया गया था, जिसके आधार पर नामान्तरण निरस्त कर दिया गया था अर्थात् वर्ष 1984 में प्रश्नाधीन भूमि सेवा सहकारी संस्था की हो गई थी । उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा राजस्व मण्डल में अपील प्रस्तुत की गई थी जो निरस्त हो गई है । इस आधार पर कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण को कोई स्वत्व नहीं होने के बावजूद तहसील न्यायालय द्वारा उनका नामान्तरण करने में वैधानिक भूल की गई है, इसलिये तहसील न्यायालय के अवैधनिक आदेश को निरस्त करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा न्यायसंगत कार्यवाही की गई है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ अनावेदक कमांक 4 लगायत 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि ग्राम भांग्या तहसील सांवेर स्थित भूमि सर्वे कमांक 65 रकबा 3.08 एकड़, सर्वे नम्बर 66 रकबा 0.60 एकड़ एवं सर्वे नम्बर 67 रकबा 6.32 एकड़ भूमि का विकय मानसिंह, सुखलाल, रामेश्वर एवं घीसीबाई द्वारा आवेदकगण की माता स्वर्गीय शांतिबाई को पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से दिनांक 23–6–1976 को कय की जाकर उनका नामान्तरण भी राजस्व अभिलेखों में हो गया है । तत्पश्चात् सर्वे नम्बर 67 का बटांकन होकर सर्वे नम्बर 67/2 हुआ । इसके पश्चात् सर्वे नम्बर 67/2 का बटवारा आवेदकगण, उनकी माता एवं भाई के मध्य वर्ष 1991–92 में होकर 67/2/1 एवं सर्वे नम्बर 67/2/2 आवेदकगण को प्राप्त हुआ । उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमियों पर अनावेदकगण का किसी प्रकार का कोई स्वत्व नहीं रह गया है । अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के आधिपत्य में हस्तक्षेप करने के कारण आवेदकगण द्वारा स्वत्व घोषणा हेतु व्यवहार वाद कमांक 178–ए/09 प्रस्तुत किया गया, जिसमें आवेदकगण एवं

अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 द्वारा आपसी राजीनामा कर राजीनामा पत्र प्रस्तुत किया गया, उक्त राजीनामा पत्र में अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों का भूमिस्वामी आवेदकगण को होना स्वीकार किया गया एवं समर्थन में शपथपत्र भी प्रस्तुत किये गये । उक्त राजीनामा पत्र के आधार पर दशम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 इंदौर द्वारा दिनांक 14–10–2010 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमियॉ सर्वे नम्बर 67/2/1 रकबा 1.555 हेक्टेयर का भूमिस्वामी आवेदक कमांक 1 नाथूलाल अग्रवाल को एवं सर्वे कमांक 67/2/2 रकबा 1.00 हेक्टेयर का भूमिस्वामी आवेदक कमांक 2 राजेंन्द्र अग्रवाल को घोषित किया गया । अतः व्यवहार न्यायालय के उपरोक्त आदेश के पालन में तहसीलदार द्वारा उपरोक्त प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदकगण का नामान्तरण स्वीकृत करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है, क्योंकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालयों पर बन्धनकारी है, इसलिये तहसीलदार का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा यह निष्कर्ष निकालते हुये तहसीलदार का आदेश अवैधानिक मानते हुये निरस्त किया जाकर तहसीलदार को आदेशित किया गया है कि आपत्तिकर्ताओं की आपत्तियों पर विचार करते हुये प्रकरण का गुणदोष के आधार पर निराकरण किया जावे कि वरिष्ठ न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर में रिव्यु प्रकरण कमांक 373–एक/2007 विचाराधीन रहते हुये तहसीलदार द्वारा आदेश पारित करने में विधि की भूल की गई है, और व्यवहार न्यायालय के स्वत्व घोषणा एवं जय पत्र दिनांक 14–10–2010 के पंजीयन के संबंध में खुलासा नहीं किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया उपरोक्त निष्कर्ष वैधानिक एवं उचित नहीं है, क्योंकि तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राजस्व मण्डल में प्रचलित रिव्यु प्रकरण कमांक 373–एक/2007 आदेश दिनांक 17–6–2011 से समाप्त किया गया है, और व्यवहार न्यायालय के आदेश का मात्र पंजीयन नहीं होने से वह निष्प्रभावी नहीं हो जाता है। इस संबंध में 2006 ए.आई. आर.एस.सी.डब्ल्यू. 4806 में माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा इस आशय

का न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि राजीनामा के आधार पर व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित डिक्री का पंजीयन होना आवश्यक नहीं है । इस प्रकरण में महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न यह है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपरोक्ष रूप से प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है, जबकि संहिता की धारा 49 में हुये संशोधन के फलस्वरूप अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण प्रत्यावर्तित करने की अधिकारिता नहीं रह गई थी । स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि अनुकूल एवं न्यायिक नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि समझौता जयपत्र पंजीकृत नहीं होने से उसके आधार पर नामान्तरण आदेश पारित करने में तहसीलदार द्वारा अवैधानिकता की गई है, क्योंकि जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि समझौता जयपत्र का पंजीयन आवश्यक नहीं है । उनका यह तर्क भी उचित नहीं है कि वर्ष 1984 में आवेदकगण की माता का नाम प्रश्नाधीन भूमि से कम हो गया था और उनका कोई स्वत्व नहीं रह गया था, कारण उनके द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं कि किस प्रकार आवेदकगण की माता का नाम प्रश्नाधीन भूमि से कम हुआ । वैसे भी अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 द्वारा तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत नहीं कर वे अनावेदकगण के रूप में उपस्थित हुये, इसलिये भी वे तहसील के आदेश से परिवेदित पक्षकार प्रतीत नहीं होते हैं । दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर तहसीलदार का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, सांवेर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–05–2012 निरस्त किया जाकर तहसीलदार, सांवेर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–07–2011 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर